रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 489] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 1972/आश्विन 13, 1894

No. 489] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1972/ASVINA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 23 OCT 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th October, 1972

S.O. 639 (E).—Whereas the Central Government has, by its notified order in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade, No. S.O. 1482, dated 31st March, 1971, issued under clause (b) of sub-section (1) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Board of Management consisting of Sarva Shri R.V. Subrahmanian and S.K. Moitra to take over the management of the Industrial undertaking known as Messrs Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed here to the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied there to before the issue of the said notified order under section 18-A.

THE SCHEDULE

Provisions of the companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1.	2.
Section 166	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 210 (1)	The provisions of this sub-section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. 2/25/71-P.S. Cell/HM-I]

S.M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1972

का० आ० 639(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा जिसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया है मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवेन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, प्रबन्धक-बोर्ड को, जिसमें सर्वश्री आर० वी० सुब्रह्मण्यम और एस० के० मैत्रा हैं उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि तक के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18-ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उसी प्रकार लागू बना रहेगा जिस प्रकार वह धारा 18-क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उसे लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम में लागू होंगे
1	2
धारा 166 . .	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे।
धारा 210 (1) .	इस उपधारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।

[सं० 2/25/71-पी एन सेल/एच एम-1]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972